अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएँ/व्यापारिक संगठन–तथ्य एक दृष्टि में
(International Financial Institutions / Trade Organizations - Facts at a Glance)

संगठन तथा समूह	स्थापना वर्ष	मुख्यालय	सदस्यों की संख्या	विशेष
1. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)	1945	वाशिंगटन	188वां दक्षिण सूडान	जुलाई 2002 में पूर्वी तिमोर IMF का नवीनतम सदस्य बना। इसका प्रमुख–प्रबन्ध निदेशक–यूरोपीय को ही बनाया जाता है।
2. विश्व बैंक समूह	1945	वाशिंगटन	188वां दक्षिण सूडान	भारत ICSID को छोड़कर अन्य सभी
a. आई.बी.आर.डी.	1945			का सदस्य है।
b. आई.एफ.सी.	1956			विश्व बैंक (WB) से आशय IBRD तथा
c. अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिषद (IDA)	1960			IDA है। इसका अध्यक्ष पद पर कोई
d. एम.आई.जी.ए. (MIGA)	1988			अमरीकी ही सदा नियुक्त होता रहा है
e. आई.सी.एस.आई.टी. (ICSID)	1966			IDA को WB की रियायतीकरण देने वाली खिड़की (Soft Loan Window) भी कहते हैं।
3. यूरोपियन संघ (EU)	1958 में स्थापित EEC का परिवर्तित रूप	ब्रुसेल्स	27	क्रोएशिया इसका 28वाँ सदस्य होगा। (जनमत संग्रह हो चुका है) यूरोपियन यूनियन कामन मार्केट का उदाहरण है। 1 जनवरी, 2002 को EU के 12 सदस्य देशों ने यूरो को एक वैधानिक मुद्रा (Leagal Tender) के रूप में अपनाया। 1 जनवरी, 2007 को स्लोबेनिया (Slovenia) ने यूरो मुद्रा को स्वीकार किया। इस समय इसके 17 सदस्य है जिन्होंने युरो को स्वीकार किया है।
4. विश्व व्यापार संगठन (WTO)	1995	जिनेवा	(केपवर्ड 153वाँ) (शीघ्र ही 157 होने की आशा)	बनुआतु (अक्टूबर, 2011) रूस (16 दिसम्बर, 2011) तथा मान्टेनेग्रो एवं समोआ (17 दिसम्बर, 2011) को इसके सदस्य बनाने की घोषणा की गयी पर सदस्य बनने की लम्बी प्रक्रिया बाकी है पूरा होने के बाद सदस्यों की संख्या 157 हो जायेगी।
5. आसियान (ASEAN)	1967	जकार्ता	10	यह स्वतन्त्र व्यापार ब्लाक (Free Trading Bloc) का उदाहरण हैं इसका नवीन सदस्य कम्बोडिया (10वां) 30 अप्रैल 1999 को बना।
6. एशियाई विकास बैंक (ADB)	1966	मनीला	67 जार्जिया वाँ	यह एक बहुपक्षीय विकास ऋण संख्या के रूप में सदस्य देशों को रियायती ब्याजदर पर ऋण देता है। इसका अध्यक्ष परम्परा रूप में जापानी को ही चुना जाता है।
7. उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता (NAFTA)	1994		03	यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र (Free Trading Bloc) है।

8.	एशिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग (APEC)	1989	सिंगापुर	21	सन् 2020 तक एशिया प्रशान्त क्षेत्र को स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र बनाने की घोषणा की गयी है। यह विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र होगा।
9.	दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (SAARC)	1985	काठमांडू (नेपाल)	8	अफगानिस्तान सार्क का आठवाँ सदस्य 4 अप्रैल, 2007 को बना।
10.	दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता (SAPTA)	1995	काठमांडू (नेपाल)	7	SAFTA-दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र 1 जुलाई, 2006 से प्रभावी 2012 तक सदस्य देशों के बीच तटकर कटौती शून्य स्तर तक लाना।
11.	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD)	1948 में स्थापित यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का 1961 में परिवर्तित रूप	पेरिस (फ्रांस)	34	चीली 31वाँ सदस्य देश। इसके बाद इजराइल, एस्टोनिया तथा स्रोवेनिया इसके सदस्य बनें।
12.	दक्षिण साझा बाजार	1991	मोण्टेविडियो	07	'मर्कोसुर' स्पेनिश नाम हैं जिसका अभिप्राय–दक्षिण शंकु का साझा बाजार यह द. अमरीकी क्षेत्र का स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र है।
13.	पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन सदस्य ईरान, कुवैत तथा सऊदी अरबिया	1960	वियना (ऑस्ट्रिया)	11	05 संस्थापक सदस्य देश व 06 अन्य सदस्य देश। खनिज तेल की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में स्थायित्व लाना। 05 वर्ष में संगठन का शिखर सम्मेलन आयोजित होता है। इन्डोनेशिया ने 2008 तथा ईराक ने 2009 में सदस्यता छोड़ी।
14.	हिन्द महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन (हिमतक्षेत्र) (IORARC)	1997	–	19	इस संगठन में एशिया अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के वे देश शामिल हैं जो महासागर के तट पर बसे हुए हैं। इस संगठन का प्रारम्भिक नाम M-7 था।
15.	मेंकोंग–गंगा सहयोग (MGC)	2000	विएनतिएन (लाओस)	06	
16.	शंघाई सहयोग संगठन (SCO) या 'शंघाई–6'	1996		06	अंतिम संस्थापक सदस्य उजबेकिस्तान है। 07 जून, 2002 को औपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का दर्जा मिला। इसे 'स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र' (Free Trade Zone) में परिणित होने की दिशा में प्रयास जारी है।
17.	बिम्सटेक (BIMSTEC)	1997	–	07	प्रारम्भ में 04 सदस्य थे जून 1997 में म्योमार को शामिल किया गया। 06 फरवरी, 2004 को नेपाल तथा भूटान को शामिल किया गया। इसका परिवर्तित नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल ऐण्ड इकोनोमिक कोआपरेशन है।

18. G–8	1975	–	08	20–22 जून, 1997 को अमेरिका के पर्वतीय शहर 'डेनवर' (Denver) में सम्पन्न G–7 के शिखर सम्मेलन में प्रथम बार 'रूस' को इस संगठन के पूर्ण भागीदारी के रूप में शामिल किया गया। यह एक गैर सरकारी संगठन है।
19. G–77	1964	न्यूयार्क	133	इस समूह के अधिकांश देश तृतीय विश्व से सम्बद्ध हैं। भारतभी इसका सदस्य हैं
20. G–15	1989	जिनेवा	19	विकासशील देशों का समूह इससे भारत भी सदस्य है। अंतिम सदस्य ईरान है।
21. G–20	1997	–	20	1997 में एक औपचारिक संगठन का गठन। इस समूह के प्रथम अध्यक्ष पाल मार्टिंग (कनाडा) थे। भारत भी इसका सदस्य है।
22. G–10	1962	पेरिस	11	ग्यारहवां सदस्य 1984 में स्विट्जरलैण्ड बना। यह IMF के उधार के सामान्य व्यवस्थापन कोष (GAB) के लिए अनुदान देने हेतु अनौपचारिक देशों का समूह। भारत इसका सदस्य नहीं है।
23. इब्सा (IBSA)	2003	–	03	भारत, ब्राजील, द. अफ्रीका एक त्रिपक्षीय संगठन। औपचारिक रूप से ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया में 06 जून, 2003 को गठित किया गया।
24. BRICS (R–5)	2009	–	–	ब्राजील, रूस, इण्डिया तथा चीन तथा दक्षिण अफ्रीका का संगठन जिसकी पहली बैठक रूस के यकटरीनवर्ग 16 जून 2009 को हुयी। इसे R–5 के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन सबकी करेन्सी 'R' से शुरू होती है–ब्राजील–रीयल, रूस–रुबल, इण्डिया (रुपया या रुप्पी), चीन (रेनमिन्थी), साउथ अफ्रीका (रैंड)।
25. ISO (इन्टरनेशनल आर्गेनाइजेशन फार स्टैन्डर्डपिजेशन)	1947	जेनेवा	147	प्रौद्योगिकी टेक्सटाइल पैकेजिंग भवन आदि के सम्बन्ध में मानक स्थापित करना।
26. GCC (गल्फ कोआपरेशन कैंसिल)	25 मई, 1981	6 रियाद	4	अरब देशों के बीच आर्थिक सहयोग स्थापित करना।
27. BASIC	2010			ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका भारत तथा चीन।
28. कोलम्बोप्लान	1 जुलाई, 1951			एशिया पेस्फिक देशों के आर्थिक एवं आर्थिक विकास के लिए।

आर्थिक शब्दावली

- **रेपो दर** : अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु (ओवर–नाइट हेतु भी) जिस ब्याज दर पर कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं, **'रेपो दर'** कहलाती हैं। वर्तमान (16 सितम्बर, 2010 से) में रेपो दर 6.00 प्रतिशत है।
- **रिवर्स रेपो दर** : अल्पकालिक अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस ब्याज दर पर नगदी प्रापत की जाती है **'रिवर्स रेपो दर'** कहलाती है। सामान्य बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाने पर उसमें कमी लाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ी ब्याज दरों पर कॉमर्शियल बैंकों को अल्प अवधि के लिए नकदी रिजर्व बैंक में जमा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। वर्तमान (16 सितम्बर, 2010 से) में रिवर्स रेपो दर 5.00 प्रतिशत है।
- **नकद आरक्षित अनुपात (CRR) :** किसी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह (प्रतिशत) भाग जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है, **'नगद आरक्षित अनुपात'** कहा जाता है। इसकी दर जितनी ऊँची होती है, बैंकों की साख सृजन क्षमता उतनी ही कम होती है। वर्तमान (16 सितम्बर, 2010 से) में सी.आर.आर. 6.0 प्रतिशत है।
- **वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) :** किसी भी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह (प्रतिशत) भाग जो नगद स्वर्ण व विदेशी मुद्रा के रूप में उसे अपने पास अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है। बैंकों को वित्तीय संकट का सामना करने हेतु रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी व्यवस्था निर्धारित की गई है। वर्तमान (16 सितम्बर, 2010 से) में यह दर 25 प्रतिशत है।
- **पूँजी पर्याप्तता अनुपात (CRAR) :** वह न्यूनतम पूँजी जिसे एक बैंकिंग और गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्था को अपने पास रखना चाहिए, खासकर तब जब वह किसी व्यापारिक सम्पत्ति का सृजन करती हो, पूँजी पर्याप्तता कहलाती है, जबकि पूँजी पर्याप्तता अनुपात जोखिम भारित सम्पत्तियों के साथ पूँजी का अनुपात प्रदर्शित करता है। वर्तमान में यह दर 9 प्रतिशत है।
- **ECS प्रणाली** : इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम योजना के माध्यम से बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को उसके द्वारा आदेशित किसी भी संस्था/व्यक्ति के खाते में नियमित रूप से अन्तरित की जाने वाली धनराशि को बिना पेपर चैक काटे हुए स्वतः अन्तरण की सुविधा प्रदान की जाती है।
- **वाई–फाई (WiFi) तकनीक** : आज के दौर में इंटरनेट का चलन और उपयोग एक अनिवार्य अंग बन गया है। इंटरनेट के प्रयोग करने वालों के लिए इंटरनेट की वाई–फाई तकनीक वरदान साबित हो रही है। वाई–फाई वायरलेस ुइडलिटी का संक्षिप्त नाम है। इंटरनेट की सुविधाएं सामान्यतः टेलीफोन, केबिल और ब्राडबैंड के जरिए लोगों को उपलब्ध कराई जाती हैं। आजकल बहुत–सी प्राइवेट कम्पनियाँ एक छोट–से मोडम के जरिए भी इंटरनेट की सुविधा लोगों को उपलब्ध करारही हैं। इंटरनेट के उपयोग के लिए डेस्कटॉप या लैपटॉप कम्प्यूटर उपयोग में लाए जाते हैं। इंटरनेट की सुविधा लेने के लिए इन कम्प्यूटरों को उपर्युक्त माध्यमों में से किसी एक से जुड़ा होना चाहिए, लेकिन इंटरनेट की वाई–फाई तकनीक में डेस्कटॉप या लैपटॉप कम्प्यूटर को टेलीफोन, केबिल और ब्राडबैंड आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती। वाई–फाई तकनीक से जुड़े क्षेत्र में कम्प्यूटर स्वतः इंटरनेट से जुड़ जाते हैं जिससे कम्प्यूटर को अलग से किसी कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं होती दूरदराज के क्षेत्रों के लिए जहाँ भौतिक कनेक्टिविटी सम्भव न हो उन क्षेत्रों के लिए यह तकनीक किसी वरदान से कम नहीं।
- **नैनो तकनीक** : आनेवाले समय में नैनो तकनीक आधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अलादीन का चिराग साबित होगी। इस तकनीक के जरिए कृषि, पशुपालन एवं खाद्य प्रसंस्करण में चमत्कारिक परिवर्तन आएगा। इस तरह से ग्रामीण विकास में नैनों तकनीक अहम् भूमिका निभाएगी। इस तकनीक के जरिए पराजीनी फसलें या ट्रांसजेनिक क्रॉप्स तैयार की जा सकेंगी। अभी तक एक प्रजाति की दो अच्छी किस्मों से बेहतरीन जीन निकाल कर उम्दा किस्म तैयार की जाती है, लेकिन नैनो तकनीक ने इन सभी को चमत्कारिक रूप से कर दिखाया है। इस तकनीक के जरिए वनस्पति जगत् में जन्तु जगत् की घुसपैठ को सम्भव कर दिखाया है। इसके द्वारा मनचाहे स्वाद, रंग, सुगंध एवं पौष्टिकता से भरपूर फसलों की प्रजातियो को तैयार किया जा सकेगा। यही नहीं, पौधों में पोषक तत्व, खाद–पानी की कमी एवं रोग–बीमारियों को खुद बया करेंगे। फसलों को खरपतवारों के आक्रमण से बचाना हो या फिर मिट्टी की उर्वरा शक्ति की जाँच–पड़ताल करनी हो, सब कुछ इस तकनीक से सम्भव हो चला है। नैनों तकनीक से पशुओं में मन चाही विशेष नसल एवं उम्दा गुणों के पशुओं को तैयारा करना सम्भव हुआ है। प्रकृति जो करिश्मा हजारों लाखों साल में करती थी, वह जेनेटिक इंजीनियरी के जरिए पलक झपकते ही सम्भव हो चला है। पराजीनी फसलों के उत्पादन में चीन नम्बर एक पर है। अभी पराजीनी फसलों में सोयाबीन, मक्का, कपास ओर केनोल का प्रमुख स्थान है।
- **टेली–मेडिसिन** : यह संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, चिकित्सा विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं आयुर्विज्ञान का समन्वय है। टेली–मेडिसिन प्रणाली के अन्तर्गत विशेष रूप से तैयार किए गए हार्डवेयर ओर सॉफ्टवेयर, रोगी तथ डॉक्टर दोनों छोरों पर प्रदान किए जाते हैं। इनके जरिए रोग निवारण के उपकरण, एक्स–रे, ई. सी.जी., जाँच रिपोर्ट आदि रोगी तक पहुँचाए जाते हैं। यह जानकारी इनसैट उपग्रह के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं। आमूमन रोगी की बीमारी से सम्बन्धित समस्त जानकारी विशेषज्ञ डॉक्टर को भेजी जाती हैं। इसके बाद डॉक्टर जाँच–पड़ताल के बाद रोगी से सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वाराबातचीत करके रोग का निदान और उपचार करते हैं। इस कार्य के लिए सरकारी अस्पताल, कुछ गैर–सरकारी संगठन या ट्रस्टी अस्पताल चुने जाते हैं। ताकि इस प्रणाली को सुचारु रूप से चलाने में पर्यापत प्रशिक्षण प्राप्त हो सके और आगे चलकर टेली–मेडिसिन को राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा सके। अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य के सभी जिला चिकित्सालयों में टेली–मेडिसिन सुविधा स्थापित करने का कार्य आरम्भ कर दिया है।

- **नेट बैंकिंग** : इंटरनेट एवं कम्प्यूटर की सहायात से घर बैठे बैंकिंग के कार्यों का संचालन किया जाता है। इस प्रक्रिया को नेट बैंकिंग कहते हैं। नेट बैंकिंग के माध्यम से ग्राहक अपने कम्प्यूटर का उपयोग कर अपने बैंक नेटवर्क और वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। नेट बैंकिंग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि कोई भी घर बैठे या ऑफिस से बैंक सर्विस का लाभ उठा सकता है।

  तकनीकी दुरुपयोग के कारण नेट का जालसाज एकाउंट को हैक कर बैंक के ग्राहक को हानि पहुँचा सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि नेट बैंकिंग के उपयोग में सतर्कता बरती जाए। नेट बैंकिंग की 50 प्रतिशत वेबसाइट असुरक्षित होती है। अतः ग्राहक साइट खोलने से पहले यू. आर.एल. और डोमेन को चेक करें और देखें कि यह उसी बैंक के यू.आर.एल. और डोमेन की तरह हों। इससे आप आश्वस्त हो जाएगें कि आप सुरक्षित वेबसाइट का उपयोग कर रहे हैं।

  यदि आप नेट बैंकिंग के लिए इंटरनेट कैफे का उपयोग कर रहे हों, तो अपने पासवर्ड को बदल लें। इससे आप सुरक्षित हो जाएंगे। पासवर्ड को किसी पेपर पर न लिखें। इसे आसानी से हैक किया जा सकता है। अपनी सिस्टम पर स्क्रीन सेवर पासवर्ड डाल दें। जिससे आपके सिस्टम का उपयोग कोई अन्य नहीं कर सके।

- **प्रतिकारी शुल्क** : निर्यातक देश द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर सब्सिडी प्रदान करके उनहें नीची कीमत पर निर्यात करने या राशिपत्तन करने की सिंथिति में आयातक देश द्वारा ऐसी वस्तुओं पर ऊँची दर से आयात शुल्क लगाने या विशेष अतिरिक्त आयात शुल्क लगाए जाने को प्रतिकारी शुल्क कहा जाता है।

- **टपकन सिद्धान्त (Trickle Down Theory) :** किसी देश में राष्ट्रीय आय की उच्च विकास दर का लाभ समाज के सबसे निचले पायदान पर बैठे लोगों तक पहुँचने का सिद्धान्त टपकन सिद्धान्त कहलाता है। इसमें प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ–साथ समाज में आय एवं धन के वितरण की असमानताओं में भी कमी करने का प्रयास किया जाता है।

- **सी. सी. आई. एल. (CCIL) :** सी. सी. आई. एल. (क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.) भारतीय विदेशी विनिमय बाजार का एक निकाय है, जो विदेशी लेन–देन के समाशोधन का कार्य करता है।

- **जोखिम पूँजी (Venture Capital) :** बाजार में निवेशकर्ताओं एवं कम्पनियों द्वारा व्यापारिक अविा अन्य प्रकार की निवेशक गतिविधियों में प्रयुक्त की जाने वाली पूँजी 'जोखिम पूँजी' कहलाती है।

- **चालू खाते पर बकाया (Balance on Current A/c) :** किसी देश के भुगतान सन्तुलन के चालू खाते (आयात–निर्यात का पण्य व्यापार, जहाजरानी, बैंकिंग, पर्यटन, बीमा, अनिवासियों द्वारा विदेशी निधियों के अन्तरण) के लेन–देन का चालू खाते के बकाया पर नामे एवं जमा में दर्शाया जाता है।

- **अति इष्ट राष्ट्र (Most Favoured Nation) :** किसी देश द्वारा जब किसी अन्य देश के आयातों–निर्यातों, प्रशुल्कों आदि से सम्बन्धित कुछ विशिष्ट सुविधाएं या रियायतें दी जाती हैं तो एसी सुविधाएं प्राप्त करने वाला राष्ट्र 'अति इष्ट राष्ट्र' कहलाता है।

- **स्विच ऑपरेशन (Switch Operation) :** खुले बाजार की क्रिया (Open Market Operation) का प्रयोग केवल साख नियन्त्रण या मौद्रिक नीति में न होकर, बल्कि सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय–विक्रय द्वारा राजकोषीय नीति के रूप में किया जाता है। रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिभूतियों को क्रय करना (सामान्यतया अल्प अवधि की) तथा दूसरी प्रतिभूतियों का उसके स्थान पर विक्रय (सामान्यतया दीर्घ अवधि की) करने की क्रिया, जिससे प्रतिभूतियों की परिपक्वता अवधि (Maturity Period) लम्बी हो सके, को ही हम 'स्विच ऑपरेशन' कहते हैं।

- **संदर्भित दर या प्रमुख उधारी दर (Prime Landing Rate–PLR) :** संदर्भित दर, पूँजी बाजार का निर्धारण करती है। यह दर न्यमनतम दर होती है, जिस पर पूँजी बाजार में उधार लिया या दिया जाता है। बाजार में प्रचलित ब्याज दर, जिस पर सामान्यतया समझौता होता है, संदर्भित दर से ऊँची होती हैं इसके द्वारा ब्याज दर में होने वाला परिवर्तन निर्देशित होता है। विभिन्न देशों में भिन्न–भिन्न नामों से संदर्भित दरों को जाना जाता है। अमरीका में Feds Funds Rate, जर्मनी में फ्रेंकफर्ट इन्टर बैंक ऑफर्ड रेट (FIBOR), जापान में टोकियो इन्टर बैंक ऑफर्ड रेट (TIBOR), लन्दन में लन्दन इण्टर बैंक ऑफर्ड रेट (LIBOR), इत्यादि।

  प्रमुख उधारी दर (Prime Lending Rate–PLR) : वह ब्याज दर होती है, जिस पर बैंक अपने सर्वप्रिय (विश्वसनीय) ग्राहक को ऋण देता है। (विश्वनीयता से तात्पर्य है जिसमें जोखिम शून्य हो।) PLR एक प्रकार से आधार ब्याज दर की भूमिका अदा करता है। इसी PLR आधार पर अन्य उद्यमियों को ऋण प्रदान किया जाता है। यह दर एक प्रकार से आधारिक ब्याज दर के रूप में कार्य करती है।

- **वेबरीज वक्र (Webriz Curve) :** किसी अर्थव्यवस्थाम ें बेराजगारी के स्तर तथा रोजगार उपलब्धता के स्तर के बीच आरेखीय सम्बन्ध प्रदर्शित करने वाले वक्र को 'वेबरीज वक्र' कहते हैं। वस्तुतः दोनों में विलोम सम्बन्ध पाया जाता है।

- **ई–गवर्नेन्स (E-Governance) :** शासन के विभिन्न घटकों–विभागों एवं मन्त्रालयों के सभी स्तरों को कम्प्यूटर आधारित नेटवर्क से जोड़कर नीति निर्धारण, संसाधन आबंटन, कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन की प्रणाली ई–गवर्नेन्स कहलाती है।

  ई–प्रशासन अभी व्यावहारिक रूप से भले ही दूर की कौड़ी लगे, लेकिन जिस रफ्तार से देश में सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है। भविष्य में देशवासियों विशेष रूप से ग्रामीणों तथा दूरदराज के व्यक्तियों को सबसे अधिक फायदा ई–प्रशासन से होगा। इंटरनेट का दायरा दूरदराज के क्षेत्रों तक फैलेगा। तब ई–प्रशासन से सरकार और ग्रामीणों के बीच सीधा सम्पर्क कायम होगा। प्रायोगिक तौर पर ई–प्रशासन को भू–अभिलेख, सड़क परिवहन, वाणिज्य कर, रोजगार केन्द्र, कोषागार, भू–पंजीयन, पुलिस प्रशासन एवं शिक्षा आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों से प्रारम्भ किया जा रहा है।

- **ई–चौपाल** : ई–चौपाल केन्द्र निजी कम्पनियों, विकास संस्थाओं एवं राज्य सरकारों का ऐसा नेटवर्क है, जो इंटरनेट के माध्यम से गाँवों में ही किसानों को कृषि की जानकारी, बाजार की माँग, विपणन एवं कृषि सम्बन्ध नई जानकारी उपलब्ध कराता है। ई–चौपाल केन्द्रों का संचालन पाँच–छह गाँवों को मिलाकर एक स्थानीय व्यक्ति करता है जिसको कम्प्यूटर की जानकारी होती है। यह व्यक्ति पाँच–छह गाँवों को मिलाकर ई–चौपाल केन्द्र का संचालन करता है। इन ई–चौपाल केन्द्रों पर किसानों को कृषि की नई प्रौद्योगिकी अपनाने की जानकारी, फसलों के उत्पादन बढ़ाने की जानकारी, नई उन्नतशील किस्म के बीज, उर्वरकों, दवाओं की जानकारी, फसलों के रोग–बीमारियों के निदान के उपाय की जानकारी, बाजार मूल्य, बाजार माँग आदि की जानकारी मुहैया कराता है।
- **के.पी.ओ. (Knowledge Processing Outsourcing–KPO) :** नॉलिज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग वह प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान आधारित सेवाएं जैसे कि वकालत आदि दूसरे देशों से कराई जाती हैं। आने वाले दिनों में विकसित देश अपनी अनेक ज्ञान आधारित सेवाएं भारत जैसे विकासशील देशों से कराना प्रारम्भ कर देंगे, क्योंकि ऐसा करना उनके लिए सस्ता होगा।
- **मुद्रा गुणक (Money Multiplier) :** प्रारक्षित मुद्रा (M_0) से बृहत मुद्रा (M_3) का अनुपात $\left(\frac{M_3}{M_0}\right)$ मुद्रा गुणक कहलाता है। भारत में मार्च 2006 में यह 4.76 था।
- **आई.पी.ओ. (Initial Public Offcer) :** इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग से किसी कम्पनी द्वारा जारी किया गया वह प्रारम्भिक निर्गम है जो जनता द्वारा अंशदान करने के लिए किया जाता है।
- **समावेशित विकास (Inclusive Growth) :** ऐसा विकास समावेशित विकास कहलाता है जिसमें आर्थिक विकास की उच्च दर से जनित राष्ट्रीय आय के वितरण में समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों को उचित हिस्सा मिले अर्थिात् राष्ट्रीय आय का रिसाव प्रभाव नीचे की ओर अधिक हो।
- **लियोन्तीफ पैराडॉक्स (Leontief Paradox) :** विकसित देशों पूँजी प्रधान वस्तुओं का आयात करना तथा श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात करना एवं श्रम प्रधान देशों द्वारा श्रम प्रधान वस्तुओं को आयात करना व पूँजी प्रधान वस्तुओं का निर्यात करना लियोन्तीफ पैराडॉक्स कहलाता है।
- **पी.ए.एन. (Permanent Account Number–PAN) :** परमानेन्ट एकाउण्ट नम्बर या स्थायी लेखा संख्या आयकर दाताओं को आबंटित एक ऐसी संख्या है जिससे उसके धारक द्वारा किसी वर्ष में प्राप्त की गई आय एवं अन्य लेन–देन, जिनमें पी.ए.एन. का उल्लेख करना अनिवार्य है, का लेखा–जोखा रखा जाता है ताकि कर अपवचन को रोका जा सके।
- **सूक्ष्म साख की अवधारणा (Comcept of Micro Finance) :** ग्रामीण निर्धनों, विशेष रूप से महिलाओं, को बिना किसी सम्पार्श्विक गारन्टी के आय सृजनकारी गतिविधियों के संचालनार्थ साख सुविधा उपलब्ध कराना सूक्ष्म साख कहलाता है। निर्धनता निवारण एवं विकास का लाभों से वंचित रहे लोगों, विशेष रूप से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में सूक्ष्म–साख एक उपयोगी यन्त्र के रूप में सामने आई है। इसकी कार्य प्रणाली प्रारम्परित बैंक साख से भिन्न है। इसके अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह के रूप में संगठित निर्धन व्यक्तियों को साख सुविधा मुहैया कराई जाती है। इसलिए यह प्रणाली उन लोगों को आर्थिक क्षेत्रक की मुख्य धारा से जोड़ती है जो साधनहीन है तथा सैकड़ों वर्षों से निर्धनता–कुपोषण अशिक्षा–बेरोजगारी के मकड़जाल में फँसे है। इसके अन्तर्गत लाभार्थियों को छोटी–छोटी बचतें करने के लिए भी प्रेरित किया जाता है, ताकि वे अन्ततः स्वावलम्बी बन सकें।
- **ब्यावर्ती योजना (Rolling Plan) :** प्रोफेसर मिर्डल प्रथम अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक 'Indian Economic Planning in its Broader Setting' में विकासशील देशों के लिए ब्यावर्ती योजना की सिफारिश की। ब्यावर्ती योजना में प्रत्येक वर्ष तीन योजनाएं बनाई जाती हैं और उन पर अमल किया जाता है। प्रथम, एक योजना चालू वर्ष के लिए होती है, जिसमें वार्षिक बजट तथा विदेशी मुद्रा बजट शामिल होते हैं। द्वितीय, एक योजना कुछ वर्षों के लिए अर्थात् तीन, चार या पाँच वर्षों के लिए होती है। इसे अर्थव्यवसायी आवश्यकताओं के अनुसार हर वर्ष बदल दिया जाता है। इसमें कीमत सम्बन्धों तथा कीमत नीतियों के साथ–साथ उन लक्ष्यों एवं तकनीकों का उल्लेख होता है जिनका अनुसरण योजना की अवधि के दौरान किया जाता है। तृतीय, प्रतिवर्ष 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष या उससे भी अधिक की समयावधि के लिए एक **दृष्ट योजना** प्रस्तुत की जाती है जिसमें व्यापक उद्देश्यों का उल्लेख रहता है और आगामी विकास की रूपरेखा बनाई जाती है। वार्षिक एकवर्षीय योजना को उसी वर्ष की नई तीन, चार या पाँचवर्षीय योजना में फिट किया जाता और इन दोनों को दृष्ट योजना के प्रकाश में तैयार किया जाता है।
- **प्लास्टिक मनी (Plastic Money) :** पलास्टिक मनी से तात्पर्य विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा अन्य कम्पनियों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्डों से हैं। भारत के लगभग सभी महानगरों में क्रेडिट कार्डों का चलन बढ़ रहा है। इनसे हवाई जहाज की टिकट, कपड़े, सामान आदि खरीदे जा सकते हैं। अब तो बाजार में पेट्रो कार्ड तक आ गए हैं जिनसे ग्राहक पेट्रोल पम्पों पर पेट्रोल/डीजल का भुगतान क्रेडिट कार्ड के जरिए कर सकते हैं।
- **ब्लू टूथ** : ब्लू टूथ सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित तीसरी पीढ़ी का उपकरण है, जो संचार क्षेत्र के लिए एक क्रान्तिकारी तकनीक साबित हुआ है। कम्प्यूटर जगत् में ब्लू टूथ एक मानक टेक्नोलॉजी है जिसका मकसद हमारे कम्प्यूटरों को तारों के जाल से निजात दिलाना है। इस तकनीकी की मदद से सेलफोन और लैपटाप या ऐसे कोई भी दो अन्य उपकरण (जिनमें ब्लू टूथ तकनीकी का प्रयोग किया गया हो) बिना तार के एक–दूसरे से जुड़ सकते हैं। इस तकनीकी की मदद से एक छोटी रेंज में रेडियो फ्रीक्वेंसी द्वारा आवाज सुनने तथा डाटा स्थानान्तरण का कार्य किया जाता है। इसका रेंज 10 सेमी. से 100 मी. तक किया जा सकता है। तकनीकी के प्रयोगकर्ता बिना कोई तार लगाए ही कम्प्यूटिंग तथा दूरसंचार उपकरणों तक अपनी पहुँच बना लेता है। इसमें विभिन्न उपकरणों को आपस में तारों से जोड़ने के झंझट में हमें छुटकारा मिल सकता है। 10वीं शताब्दी के महान् डैनिश सम्राट् हैराल्ड ब्लू टूथ के नाम पर विकसित की गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके आ जाने से सूचनाओं का प्रेषण न केवल आसान हो गया है,. बल्कि सूचना राजमार्ग पर बढ़ते ट्रैफिक से भी निजात मिल गई है।

- **गैर–निष्पादनीय परिसम्पत्तियाँ (Non-performing Assests) :** गैर–निष्पादनीय परिसम्पत्तियाँ बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा वितरित वे ऋण हैं जिनके मूलधन एवं उस पर देय ब्याज की वापसी समय से नहीं हो पाती या बिलकुल नहीं हो पाती।

  सामान्यतया बैंकों द्वारा वितरित ऐसे सभी ऋण और उस पर देय ब्याज गैर–निष्पादनीय परिसम्पत्ति के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनमें किसी वित्तीय वर्ष में मूलधन का भुगतान 180 दिन तथा ब्याज का भुगतान 365 दिन से अधिक दिनों तक रोक लिया जाता है।

- **स्वीट शेयर (Sweat Shares) :** स्वीट ईक्विटी शेयरों से तात्पर्य ऐसे शेयरों से है, जो कम्पनी के कर्मचारियों या किसी अन्य को रियायती मूलय पर आबंटित किए गए हों या फिर कोई प्रौद्योगिकी अथवा बौद्धिक सम्पदा अधिकार कम्पनी को उपलब्ध कराने या कोई अन्य मूल्य संवर्द्धन (Value Addition) करने की एवज में निःशुल्क या रियायती मूल्य पर कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराए गए हों।

  शेयर बाजारों पर निगरानी रखने वाली संस्था 'सेबी' (SEBI) ने विशेष श्रेणी के 'स्वीट ईक्विटी' (Sweat Equity) शेयरों के लिए तीन वर्ष का 'लॉक इन पीरिएड' निर्धारित किया है। इसका तात्पर्य यह है कि आबंटन की तिथि से तीन वर्ष तक इन्हें किसी अन्य को बेचा नहीं जा सकेगा। सामान्य ईक्विटी शेयरों की भाँति यह शेयर, शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होंगे।

- **हालमार्क (Hallmark) :** स्वर्णाभूषणों की गुणवत्ता को सुनिश्चत करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने एक नई 'हालमार्क' (Hallmark) योजना 12 अप्रैल, 2000 से प्रारम्भ की है। बी.आई.एस. अधिनियम, 1986 के तहत् जारी किया जाने वाला 'हालमार्क' उसी सोने से बने आभूषणों के लिए प्रदान किया जाएगा जो आई.एस. 1417 के मानकों के अनुरूप होगा।
- **विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (Foreign Direct Investment) :** भौतिक सम्पदा जैसे कारखाने, भूमि, पूँजीगत वस्तुएं तथा आधारित संरचना वाले क्षेत्रों में जब विदेशी निवेशक अपना धन लगाते हैं, तो इसे प्रत्यक्ष विदेशी पूँजी निवेश कहा जाता है। अधिकांशतया इस प्रकार के निवेश बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा किए जाते हैं।
- **संविभाग निवेश (Portfolio Investment) :** वित्तीय विपत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय निवेश को संविभाग निवेश कहते हैं। जब एक देश के निवेशक दूसरे देश की कम्पनियों के अंशों, ऋणपत्रों, बॉण्डों तथा अन्य प्रतिभूतियों में धन लगाते हैं, तो ऐसे निवेश को संविभाग निवेश कहा जाता है।
- **बहुराष्ट्रीय निगम (Multinational Corporation) :** एक ऐसी कम्पनी जिसके कार्य क्षेत्र का विस्तार एक से अधिक देशों में होता है और जिसका उत्पादन एवं सेवा सुविधाएं उस देश से बाहर भी सम्पन्न होती हैं जिसमें यह जन्म लेती है, को अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनी या बहुराष्ट्रीय निगम कहा जाता है। ऐसी कम्पनियों की महत्वपूर्ण विशिष्टता यह है कि इनके प्रमुख निर्णय पूरे विश्व के सन्दर्भ में एक साथ लिए जाते हैं, जिसके कारण इनके निर्णय बहुधा उस देश की नीतियों से बेमेल हो जाते हैं, जिनमें यह कम्पनी कार्य कर रही होती है।
- **वृद्धिमान पूँजी–निर्गत अनुपात (ICOR) :** अर्थव्यवस्था में उत्पउादन की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए पूँजी की जितनी अतिरिक्त इकाइयों की आवश्यकता होती है, उसे वृद्धिमान पूँजी–निर्गत अनुपात अथवा वृद्धिमान पूँजी उत्पादन अनुपात (ICOR) कहा जाता है। ICOR का अधिक होना यह बताता है कि उत्पादन की एक अतिरिकत इकाई की प्राप्ति के लिए ज्यादा पूँजी की आवश्यकता है।
- **एम्बार्गो (Embargo) :** एम्बार्गो से तात्पर्य व्यापार प्रतिषेध से है, जिसके अन्तर्गत कोई राष्ट्र या कुछ राष्ट्र मिलकर किसी विशेष राष्ट्र के साथ अपना सम्पूर्ण व्यापार अथवा वस्तु विशेष का व्यापार बन्द कर देते हैं। एम्बार्गो को घाट बन्दी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है जिसके अन्तर्गत कोई एक राष्ट अथवा एक से अधिक राष्ट मिलकर किसी राष्ट्र के जहाजों के बढ़ने पर रोक लगा देते हैं। ऐसी स्थिति में उन जहाजों को किसी बन्दरगाह पर रोक दिया जाता है या किसी विशेष बन्दरगाह पर पहुँचने नहीं दिया जाता है।
- **हवाला (Hawala) :** हवाला, व्यापार अधिकृत विदेशी विनिमय चैनलों को बाईपास करने वाली एक प्रणाली है। इस व्यापार में लगे लोग भुगतान घरेलू मुद्रा (Domestic currency) में प्राप्त करते हैं तथा इसके बदले विदेशों में विदेशी मुद्रा (डॉलर) की आपूर्ति कर देते हैं। यह व्यापार एक प्रमुख संचालक के नियन्त्रण में कार्यरत् ऐजेन्टों के माध्ये से परिचालित होता रहता है। हवाला व्यापार की विनिमय दरें देश के विभिन्न केन्द्रों में प्रायः अलग–अलग होती हैं। कुछ आयातक एवं निर्यातक भी हवाला व्यापार के माध्यम से लेन–देन में रुचि रखते हैं।
- **अनुषंगी हितलाभ (Fringe Benefits) :** निर्धारित मौद्रिक वेतन के अतिरिक्त नियोक्ताओं द्वारा अपने कर्मचारियों को जो अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, उन्हें 'अनुषंगी हितलाभ' कहते हैं।
- **जीरो नेट–एड (Zero Net Aid) :** जब किसी देश विशेष की आर्थिक व्यवस्था स्वनिर्भर हो जाती है तथा उसे किसी विदेशी आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं होती, तो वह 'जीरो नेट एड' कहलाती है।
- **मानव विकास निर्देशांक (Human Development Indes–HDI) :** एक देश में बुनियादी मानवीय योग्यता की औसत प्राप्ति को मानव विकास निर्देशांक द्वारा मापा गया है। इसका आकलन सम्बन्धित देश में जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy), शिक्षा के स्तर तथा वास्तविक आय के आधार पर किया जाता है।
- **प्राथमिक बाजार (Primary Market) :** पूँजी बाजार दीर्घकालीन वित्त का बाजार होता है। पूँजी बाजार का वह भाग जहाँ इक्विटी शेयर तथा ऋणों के नए निर्गमन द्वारा वित्त के दीर्घकालीन स्रोत उपलब्ध होते हैं, उसे प्राथमिक बाजार कहते हैं।
- **गिल्ट एज बाजार (Gilt Edge Market) :** इसके अन्तर्गत क्रय–विक्रय की जाने वाली प्रतिभूतियों का क्रय–विक्रय (RBI) के माध्यम से किया जाता है। इसे 'सरकारी प्रतिभूति बाजार' भी कहते हैं, क्योंकि बाजार में क्रय–विक्रय की जाने वाली प्रतिभूतियाँ सरकारी तथा अर्द्ध–सरकारी दोनों होती हैं।

- **प्रशासित मूल्य (Administered Prices) :** जब किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण बाजार की माँग व पूर्ति की स्वतंत्र शक्तियों द्वारा न होकर किसी केन्द्रीय शक्ति द्वारा होता है, तो इस प्रकार का मूल्य प्रशासित मूल्य कहलाता है। किसी एकाधिकारी फर्म द्वारा एकपक्षीय तरीके से निर्धारित मूल्य या सरकार द्वारा किसी वस्तु का निर्धारित मूल्य आदि प्रशासित मूल्य के उदाहरण हैं।
- **एमोर्टाइजेशन (Amortization) :** किसी ऋण के मय ब्याज के पूर्ण भुगतान को एमोर्टाइजेशन कहते हैं।
- **काला बाजार (Black Market) :** जमाखोरी द्वारा बाजार में कृत्रिम कमी पैदा करके वस्तुओं की कीमतें बढ़ाकर अधिक लाभ कमाने को काला बाजार कहते हैं।
- **काला धन (Black Money) :** जिस धन का हिसाब–किताब कर अधिकारियों से छिपाकर रखा जाता है, उसे काला धन कहते हैं।
- **बजट (Budget) :** किसी संस्था या सरकार के एक वर्ष की अनुमानित आय–व्यय का लेखा–जोखा बजट कहलाता है। सरकार का बजट अब केवल आय–व्यय का विवरण मात्र हसी नहीं होता, अपितु यह सरकार के क्रियाकलापों एवं नीतियों का विवरण भी है। यह आधुनिक काल में सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन का साधन भी बन गया है।
- **बफर स्टॉक (Buffer Stock) :** आपात स्थिति में किसी वसतु की कमी को पूरा करने के लिए वस्तु का स्टॉक तैयार करना बफर स्टॉक कहलाता है।
- **तेजड़िया और मंदड़िया (Bulls and Bears) :** यह स्टॉक एक्सचेंज के शब्द हैं, जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें बढ़ाना चाहता है, तेजड़िया कहलाता है, जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें गिरने की आशा करके किसी वस्तु को भविष्य में देने का वायदा करके बेचता है, वह मंदड़िया कहलाता है।
- **नेट एसेट वैल्यू (NAV) :** म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए 'एन.ए.वी.' शब्दउ एक पहेली की तरह है। इसका पूरा नाम 'नेट एसेट वैल्यू' है। अगर फंड की कुल निवेश वैल्यू में कुल यूनिटों का भाग दे दिया जाए तो 'एसेट वैल्यू' निकलती है, मसलन किसी फंड में 1 लाख रुपए जमा हुए। इसमें से फंड हाउस ने 90 हजार निवेश किए। इस निवेश की वैल्यू रोज निकाली जाती है। अब मान लें इसकी वैल्यू 1,80,000 रु. है। इसके अलावा 10 हजार रुपए फंड हाउस के पास नकट बचे हैं। यानि फंड की कुल वैल्यू हुई 1,90,000 रु. अब देखा जाता है कि इस योजना की कितनी यूनिटें जारी हुई हैं। अगर योजना में 10 लोगों ने 10–10 हजार रुपए लगाए तो कुल 10 हजार यूनिटें जारी हुईं। मानकर चलते हैं कि यूनिटों की संया नहीं बदलती है, तो अब फंड की 'एनएवी' 190000 / 10000 = 19 रुपए होगी।
- **ब्लूचिप कम्पनियाँ** : वे कम्पनियाँ जो अपने क्षेत्र में काफी समय से काम कर रही हैं तथा अपने क्षेत्र की शीर्ष तीन कम्पनियों में शामिल हों, ब्लूचिप कम्पनियाँ कहलाती हैं। ऐसा माना जाता है कि इन कम्पनियों में निवेश करना अधिक सुरक्षित रहता है। माना जाता है कि अगर इन कम्पनियों में लॉंग टर्म निवेश किया जाए, तो पैसा डूबने की सम्भावना कम रहती है।
- **डी–मैट अकाउण्ट** : यह एक प्रकार का बैंक खाता है जिसमें रुपयों की जगह शेयर व बॉण्ड रखे जाते हैं। इस खाते में रुपए का लेन–देन नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति शेयर बाजार में निवेश करना चाहता है, तो उसे डी–मैट खाता खुलवाना जरूरी हैं 'सेबी' के नियमों के मुताबिक अगर आपको शेयर बाजार में खरीद–फरोख्त करनी हो, तो वह 'डी–मैट' खाते के जरिए ही हो सकती है। यही नहीं अगर किसी कम्पनी के 'आईपीओ' में निवेश करना हो, तो भी डी–मैट खाता जरूरी है। डी–मैट खाता खुलवाने पर बैंक या ब्रोकर पैसा लेता है। यह खाता शेयर के न होने पर बन्द नहीं होता है। हाँ इसके लिए वार्षिक फीस चुकानी पड़ती है।
- **शॉर्ट टर्म तथा लोंग टर्म कैपिटल गेन** : निवेश पर लोंग तथा शॉर्ट टर्म के हिसाब से कर लगता है। एक साल के बाद अगर यूनिट बेची जाती है तो उसे 'लोंग टर्म कैपिटल गेन' माना जाता है। ऐसे में कितना ही लाभ हो, उस पर आयकर नहीं लगता है।
  अगर निवेश एक साल के अन्दर निकाला जाता है तो उस पर 'शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन' माना जाता है। इस पर 15 फीसदी की दर से कर लगता है। मसलन 20 हजार का निवेश 6 महीने में बढ़कर 25 हजार हो गया और निवेशक उसे निकाल देता है तो उसे कुल 5 हजार का लाभ हुआ। इस 5 हजार पर उसे 15% यानि 750 रु. आयकर देना पड़ेगा।
- **ब्रोकर** : ब्रोकर निवेशकों, ट्रेडरों तथा किसानों को ऑनलाइन ट्रेडिंग की सुविधा उपलब्ध कराते हैं और कारोबार की मात्रा के अनुसार शुल्क वसूलते हैं। ब्रोकर बनने के लिए व्यक्ति का नेटवर्थ काफी अधिक होना चाहिए।
  कमोडिटी एक्सचेंज के सदस्य (ब्रोकर) अपने कारोबार के विस्तार के लिए सबब्रोकर नियुक्त करते हैं। कोई भी सक्षम व्यक्ति अथवा बड़ा किसान सीधे ब्रोकर से सम्पर्क कर सबब्रोकर बन सकता है। वह व्यक्ति या किसान अपने गाँव, कस्बे या शहर में टर्मिनल स्थापित कर कमोडिटी में वायदा करोबार की सुविधा प्राप्त कर सकता है। इंटरनेट कनेक्शन लेकर भी वायदा कारोबार में ट्रेडिंग की जा सकती है।
- **कोंस्पीकुअस कन्जम्पशन (Conspicuous Consumption) :** जब किसी अर्द्धविकसित देश के नागरिक विलासिता की वस्तुओं का अधिकता से उपभाग करने लगते हैं, जो देश की समृद्धि तथा विकास के लिए हानिकारक होता है, ऐसे उपभाग को 'कोंस्पीकुआस कन्जम्पशन' कहते हैं। इससे उस देश के साधनों का ह्रास होता है।
- **कस्टम्स ड्यूटी (Customs Duty) :** इसे सीमा शुल्क कहते हैं। कस्टम्स ड्यूटी वह कर है, जो आयात व निर्यात की वस्तुओं पर लगाया जाता है।
- **एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty) :** उस कर को एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, जो देश के अंदर निर्मित वस्तुओं पर उत्पादन बिन्दु पर ही लगाया जाता है। इसे **'उत्पादन शुल्क'** कहते हैं।
- **डिवीडेन्ड (Dividend) :** कम्पनियों से शेयरों पर प्राप्त लाभांश 'डिवीडेन्ड' कहलाता है।
- **अवमूल्यन (Devaluation) :** यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है, तो इसे उस मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। यह अवमूल्यन परिस्थितियों के अनुसार सरकार स्वयं करती है।

- **विमुद्रीकरण (Demonetization) :** जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है, तो इसे दूर करने के लिए विमुद्रीकरण की विधि अपनाइ जाती है। इसके अन्तर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा चालू कर देती है जिनके पास काला धन होता है, वह उसके बदले में नई मुद्रा लेने का साहस नहीं जुटा पाते हैं ओर काला धन स्वयं ही नष्ट हो जाता है।
- **मुद्रा संकुचन (Deflation) :** जब बाजार में मुद्रा की कमी के कारण कीमतें गिर जाती हैं, उत्पादन व व्यापार गिर जाता है और बेरोजगार बढ़ती है, वह अवस्था 'मुद्रा संकुचन' कहलाती है।
- **हीनार्थ प्रबन्धन (Deficit Financing) :** जब सरकार का बजट घाटे का होता है अर्थात् आय कम होती है और व्यय अधिक होता है और व्यय के इस आधिक्य को केन्द्रीय बैंक से ऋण लेकर अथवा अतिरिक्त पत्र मुद्रा निर्गमित कर पूरा किया जाता है, तो यह व्यवस्था 'घाटे की वित्त व्यवस्था' अथवा 'हीनार्थ प्रबन्धन' कहलाती है। सीमित मात्रा में ही इसे उचित माना जाता है। हीनार्थ प्रबन्धन को स्थायी नीति बना लेने के परिणाम अच्छे नहीं होते।
- **ऐस्टेट ड्यूटी (Estate Duty) :** किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् उसकी सम्पत्ति के हस्तान्तरण के समय जो कर उस सम्पत्ति पर लगाया जाता है। उसे 'ऐस्टेट ड्यूटी' कहते हैं।
- **फ्री पोर्ट (Free Port) :** जिस–बंदरगाह पर पुनर्निर्यात होने वाले समान पर कोई कर नहीं लगाया जाता है, उसे 'फ्री पोर्ट' कहते हैं।
- **फिड्यूसियरी इश्यू (Fiduciary Issue) :** बिना रिजर्व रखे कागजी मुद्रा का चलन में ले आना 'फिड्यूसियरी इश्यू' कहलाता है।
- **उपहार कर (Gift Tax) :** किसी उपहार के देने पर जो कर लगाया जाता है वह 'उपहार कर' कहलाता है, यह एक प्रत्यक्ष कर है।
- **स्वर्णमान (Gold Standard) :** जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है अिवा मुद्रा का मूल्य सोने में मापा जाता है, तो इस मौद्रिक व्यवस्था को 'स्वर्णमान' कहते हैं। अब किसी देश में स्वर्णमान नहीं है।
- **हार्ड करेन्सी (Hard Currency) :** अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में, जिस मुद्रा की पूर्ति की तुलना में माँग लगातार अधिक होती है वह हार्ड करेनसी कहलाती है प्रायः विकसित देशों की मुद्रा हार्ड करेन्सी कही जाती है।
- **हायर परचेज (Hire Purchase) :** जब कोई वस्तु मासिक या वार्षिक इन्स्टालमेंट के आधार पर खरीदी जाती है,तो इस विधि को 'हायर परचेज' कहते हैं। इसमें वसतु का स्वामित्व उसके मूल्य का पूरा भुगतान होने के बाद ही मिलता है।
- **हॉट मनी (Hot Money) :** उस विदेशी मुद्रा को हॉट मनी कहते हैं, जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्तिा होती है। जिस स्थान पर अधिक लाभ मिलने की सम्भावना होती है, वहीं यह स्थानान्तरित हो जाती है।
- **मुद्रास्फीति (Inflation) :** मुद्रा प्रसार या मुद्रा स्फीति वह अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। आर्थिक दृष्टि से सीमित एवं नियंत्रित मुद्रास्फीति अल्पविकसित अर्थव्यवस्था हेतु लाभदायक होती है, क्योंकि इससे उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है, किन्तु एक सीमा से अधिक मुद्रास्फीति हानिकारक है।
- **रिसेशन (Recession) :** रिसेशन से तात्पर्य मन्दी की अवस्था से है जब वस्तुओं की पूर्ति की तुलना में माँग कम हो तो रिसेशन की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसी सिथ्ति में धनाभाव के कारण लोगों की क्रय शक्ति कम होती है और उत्पादित वस्तुएं अनबिकी रह जाती हैं। इससे उद्योगों को बंद करने की प्रक्रिया प्रारम्भ होती हैं बेरोजगारी बढत्र जाती है। 1930 के दशक में विश्वव्यापी रिसेशन की स्थिति उत्पन्न हुई थी। विश्व के सभी देशों पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।
- **संयुक्त क्षेत्र (Joint Sector) :** इस सेक्टर में लगाए गए उद्योगों में सरकार व निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों का संयुक्त स्वामित्व होता है।
- **विधिग्राह्य मुद्रा (Legal Tender Money) :** जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है, उसे 'विधिग्राह्य' मुद्रा कहते हैं। भारत की विधिग्राह्य मुद्रा रुपया है।
- **प्राइमरी गोल्ड (Primary Gold) :** 24 केरेट के शुद्ध सोने को प्राइमरी गोल्ड कहते हैं।
- **रिफ्लेशन (Reflation) :** रिसेशन अथवा मन्दी की अवस्था में अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे कदम उठाए जाते हैं कि लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हो और वस्तुओं की माँग बढ़े, इसके परिणामस्वरूप मूल्य स्तर में जो वृद्धि होती है, उसे रिफ्लेशन कहते हैं।
- **सॉफ्ट करेन्सी (Soft Carrency) :** जब अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में किसी मुद्रा की माँग की तुलना में पूर्ति अधिक होती है, तो ऐसी मुद्रा 'सॉफ्ट करेन्सी' कहलाती है।
- **सॉफ्ट लोन (Soft Loan) :** जिस ऋण को कम ब्याज और लम्बी भुगतान अवधि जैसी आसान शर्तों पर प्राप्त किया जाता है, उसे 'सॉफ्ट लोन' कहते हैं।
- **सेमी बोम्बला (Semi Bombla) :** किसी देश के अर्थशास्त्रियों द्वारा तैयार किया गया प्रपत्र, जिसके द्वारा काला धन, मुद्रा प्रसार, कीमत वृद्धि आदि की समस्याओं को सुलझाने के लिए सुझाव देते हैं, 'सेमी बोम्बला' कहलाता है।
- **विक्रेता बाजार (Sellers Market) :** जब माँग अधिक होती है और पूर्ति कम, तब व्यापारी कमी का लाभ उठाकर वस्तुओं को मनमानी कीमतों पर बेचते हैं। ऐसे बाजार को 'विक्रेता बाजार' कहते हैं।
- **टैरिफ (Tariff) :** किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को ही प्रायः 'टैरिफ' कहा जाता है।
- **सम्पत्ति कर (Wealth Tax) :** किसी व्यक्ति द्वारा संचित सम्पत्ति के आधार पर लगने वाले कर को सम्पत्ति कर कहते हैं। यह एक प्रत्यक्ष कर है।
- **अधिविकर्ष (Overdraft) :** बैंकों से जमाकर्ता द्वारा अपनी जमा रकम के अतिरिक्त धन निकालना 'अधिविकर्ष' कहलाता है।
- **विनिमय दर (Exchange Rate) :** जिस दर पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में बदल जाती है, उसे 'विनिमय दर' कहते हैं।
- **ग्रेशम का नियम** : ग्रेशम के अनुसार यदि किसी समय अर्थव्यवस्था में अच्छी व बुरी मुद्रा एक साथ प्रचलन में हों, तो **बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है।** इसे ही ग्रेशम के नियम के रूप में जाना जाता है।

- **तालाबन्दी (Lock Out) :** जब सेवा नियोजकों द्वारा किसी फैक्ट्री में तालाबंदी कर दी जाए, ताकि कर्मचारियों से उनके द्वारा निर्धारित शर्तों को मनवाया जा सके, यही 'लॉक आउट' कहलाता है।
- **ले ऑफ (Lay Off) :** किसी औद्योगिक संस्थान में उत्पादन कम हो जाने या उस वस्तु की माँग कम हो जाने पर कर्मचारियों को नौकरी से पृथक् करना 'ले ऑफ' कहलाता है।
- **एड–वेलोरम (Ad-Valorem) :** वस्तुओं पर लगाए गए जो कर (tax) उनकी मात्रा के आधार पर न लगाकर मूलयानुसार लगाए जाते हैं, 'एड–वेलोरम' कहलाते हैं।
- **एफ्लुएंट सोसाइटी (Affluent Society) :** इस शब्द का प्रयोग समाज के उस वर्ग के लिए किया जाता है, जो अति सम्पन्न है तथा अपनी तमाम मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उपरानत भी इन लोगों के पास इतनी आय बची रहती है कि ये विभिन्न प्रकार के विलासितापूर्ण उपभोग करने लगते हैं। प्रो. जी के. गालब्रेथ ने इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पश्चिमी यूरोप व अमरीका के सन्दर्भ में किया था।
- **एन्युटी (Annuity) :** किसी पूर्व निर्धारित योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष एक या अधिक किश्तों में प्राप्त होने वाला भुगतान 'एन्युटी' कहलाता है जैसे– सरकारी ऋणपत्रों पर ब्याज का भुगतान 'एन्युटी' के रूप में हो सकता है।
- **आर्बिट्रेज (Arbitrage) :** इस शब्द का प्रयोग सामान्यतः विदेशी विनिमय के सन्दर्भ में किया जाता है। स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा बाजारों में यदि किसी स्थान पर कोई मुद्रा कम मूल्य पर खरीदी जाए तथा तुरन्त ही अन्यत्र किसी स्थान पर ऊँचे मूल्य पर बेच दी जाए तो इस क्रिया को 'आर्बिट्रेज' कहा जाता है।
- **अधिकृत पूँजी (Authorised Capital) :** पूँजी की वह अधिकतम मात्रा जिस सीमा तक कोई कम्पनी अपने शेयर जारी कर सकती है। यह आवश्यक नहीं कि कम्पनी द्वारा जारी किए गए शेयरों का मूल्य अधिकृत पूँजी के बराबर ही हो यह अधिकृत पूँजी के बराबर या उससे कम हो सकता है, किन्तु अधिक नहीं।
- **बैड डेप्ट (Bad Debt) :** वह ऋण जिसकी वसूली संदिग्ध हो अथवा सम्भव न हो।
- **जन्म–दर (Birth Rate) :** किसी क्षेत्र में किसी वर्ष प्रति हजार जनसंख्या पर जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या जन्म–दर कहलाती है।
- **ब्लू चिप (Blue Chip) :** यह शब्द प्रायः उन कम्पनियों के शेयरों के लिए प्रयोग किया जाता है, जो अत्यन्त सुदृढ़ हैं तथा जिनका प्रबन्ध इत्यादि अति कुशल है। ऐसे शेयरों को खरीदने में हानि की सम्भावना बहुत कम होती है तथा जब चाहे, उचित मूल्य पर इन्हें बाजार में बेचा जा सकता है।
- **मिश्रित माँग (Composite Demand) :** जब कोई वस्तु एक से अधिक उपयोगों में प्रयोग की जाती है, तो एकसी वसतु की कुल माँग उसकी विविध उपयोगों हेतु माँग का योग होती है। यह मिश्रित माँग कहलाती है।
- **लागत प्रेरित मुद्रास्फीति (Cost Push Inflation) :** जब वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि होने के परिणाम–स्वरूप मूलयों में वृद्धि होती है एवं मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसी मुद्रास्फीति लागत प्रेरित कही जाती है। श्रमिक संघों के दबाव में मजदूरी के स्तर में अनावश्यक वृद्धि से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
- **स्टेगफ्लेशन (Stagflation) :** स्टेगफ्लेशन से तात्पर्य 'स्फीतियुक्त गतिहीनता' से है। स्टेगफ्लेशन एक ऐसी विरोधाभासी स्थिति है जिसमें अर्थवयवस्था में मुद्रास्फीति के साथ–साथ गतिहीनता भी विद्यमान रहती है। इस स्थिति में अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में एक ओर ऊँचे मूल्य तथा अधिपूर्ण रोजगार की स्थिति दृष्टिगोचर होती है, तो दूसरी ओर के क्षेत्रों में गतिहीनता की स्थिति अर्थात् औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन में कमी, अत्यधिक मात्रा में बेरोजगारी इत्यादि दृष्टिगोचर होती है।
- **बौद्धिक सम्पत्ति (Intellectual Property) :** बौद्धिक सम्पत्ति (Intellectual Property) मानव की वह सम्पत्ति कहलाती है, जो उसकी स्वयं की बौद्धिक क्षमता एवं परिश्रम द्वारा तैयार की जाती है। कलात्मक रचनाएं, वैज्ञानिक आविष्कार, साहित्यिक और संगीतात्मक रचनाएं, नवीन सिद्धान्त, सूत्र, उपकरण आदि सभी सृजन करने वाले व्यक्ति की बौद्धिक सम्पत्ति है। इस बौद्धिक सम्पत्ति को अन्य व्यक्ति चुराकर स्वयं प्रयोग न करे इसके लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 'पेटेंट' एवं समान रूप से अन्य कानून बनाए गए हैं। विश्व व्यापार संगठन (WTO) तथा विश्व बौद्धिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक सम्पत्ति की सुरक्षा में सहायक होते हैं।
- **माइक्रो क्रेडिट (Micro Credit) :** माइक्रो क्रेडिट या माइक्रो फाइनेंस या सूक्ष्म वित्त छोटी–सी कर्ज राशि होती है, जोकि काफी गरीब लोगों को दी जाती है, ताकि वे अपनी जीविका चलाने के लिए छोटा–मोटा काम शुरू कर सकें सामान्य रूप से इनमें वे लोग शामिल होते हैं, जिनके पास बैंकों से ऋण पाने के बदले गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं होता। वर्ष 2006 का नोबेल शान्ति पुरस्कार बांग्लादेश में माइक्रो क्रेडिट को बढ़ावा देने वाले मुहम्मद युनूस और उनके ग्रामीण बैंक को प्रदान किया गया है।
- **चक्रीय बेरोजगारी (Cyclical Unemployment) :** व्यापार चक्र की मन्दी के समय उत्पन्न बेरोजगारी 'चक्रीय बेरोजगारी' कहलाती है।
- **मृत्यु कर (Death Duty) :** यह एक प्रत्यक्ष कर है, जो मरने वाले व्यक्ति की सम्पत्ति के हस्तांतरण से पूर्व उत्तराधिकारी को चुकाना होता है।
- **मूल्य माँग (Price Demand) :** किसी निश्चित मूल्य पर किसी समय में किसी वस्तु की माँगी जाने वाली मात्रा उस मूल्य पर वस्तु की माँग कहलाती है। इसे ही प्रायः माँग कहा जाता है।
- **प्रच्छन्न बेरोजगारी अथवा अदृश्य बेरोजगारी (Disguised Unemployment) :** यह इस प्रकार की बेरोजगारी है जिसमें व्यक्ति स्पष्ट रूप से बेरोजगार प्रतीत नहीं होते। वे काम पर तो लगे हुए होत हैं, किन्तु उस काम में उनकी सीमान्त उत्पादकता शून्य होती है। ऐसे लोगों को यदि काम से हटा दिया जाए, तो कुल उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। भारत में कृषि क्षेत्र में पर्याप्त प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है।
- **मुद्रा अपस्फीति अथवा विस्फीति (Disinflation) :** मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लाने हेतु जो प्रयास किए जाते हैं (जैसे साख–नियंत्रण आदि), उनके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति की दर घटने लगती है, कीमतों में गिरावट आती है तथा रोजगार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हैं यह स्थिति मुद्रा अपस्फीति अथवा विस्फीति की स्थिति कहलाती है। इस स्थिति में यद्यपि मूल्य–स्तर गिरता है, तथापि यह सामान्य मूल्य स्तर से ऊपर ही रहता है।

- **श्रम विभाजन (Division of Labour) :** किसी कार्य की सम्पूर्ण प्रक्रिया को एक ही व्यक्ति द्वारा न कराकर विभिन्न चरणों को भिन्न–भिन्न लोगों से पूरा कराने की प्रक्रिया ही श्रम विभाजन कहलाती है। श्रम विभाजन में विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन मिलता है।
- **राशिपतन (Dumping) :** किसी वस्तु के अति उत्पादन की स्थिति में बाजार में वसतु के मूल्य को एक न्यूनतम स्तर से नीचे गिरने से रोकने के लिए वसतु के अतिरिक्त भण्डार को विदेशी बाजार में बहुत कम मूल्य पर बेचने और यहाँ तक कि नष्ट तक कर देने की प्रक्रिया राशिपतन कहलाती है। उत्पादकों के हितों की सुरक्षा के लिए कभी–कभी ऐसा करना पड़ता है, ताकि अतिरिक्त उत्पादन को बाजार से दूर करके वस्तु के मूल्य को गिरने से रोका जा सके।
- **आर्थिक नियोजन (Economic Planning) :** आर्थिक संसाधनों का पूर्व मूल्यांकन करके, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को निश्चत समय में प्राप्त करने हेतु संसाधनों का योजनाबद्ध उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत प्राथमिकताओं का निर्धारण कर लिया जाता है तथा साधनों का आबंटन उसी के अनुसार किया जाता है।
- **गुणक (Multiplier) :** निवेश में गई वृद्धि उपभोग प्रवृत्ति के माध्यम से आय में बहुगुणा वृद्धि करती है। निवेश की तथा आय की वृद्धि के बीच के इस सम्बन्ध को केन्ज गुणक के रूप में परिभाषित करता है। गुणक, उपभोग प्रवृत्ति दी हुई होने पर, कुल रोजगार और आय तथा निवेश की दर के बीच सही सम्बन्ध स्थापित करता है।

  सूत्र रूप में $k = \frac{1}{1 - MPC}$

  जहाँ k गुणक है तथा MPC सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति को दर्शाता है।
- **एंजिल का नियम (Engel's Law) :** इस नियम के अनुसार कम आय वाले उपभोक्ता अपनी आय का अधिक भाग भोजन आदि पर व्यय करते हैं। आय में जैसे–ज्से वृद्धि होती है, कुल आय का कम भाग भोजन पर व्यय होता है।
- **विनिमय नियंत्रण (Exchange Control) :** यह उस व्यवस्था का नाम है जिसके अन्तर्गत कोई देश विदेशी मुद्राओं के स्वतन्त्र बाजार पर नियन्त्रण करके अपनी मुद्रा की विनिमय दर को उस दर से भिन्न रखने का प्रयास करता है, जो स्वतन्त्र बाजार में निर्धारित होती है।
- **गिफिन वस्तुएं (Giffin Goods) :** गिफिन वस्तुएं कुछ घटिया किस्म की ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन पर उपभोक्ता अपनी आय का बड़ा भाग व्यय करता है। इन वस्तुओं पर माँग का नियम लागू नहीं होता, बल्कि मूल्य में वृद्धि से इनकी माँग बढ़ जाती है तथा मूल्य में कमी से माँग भी कम हो जाती है। इस विरोधाभास को गिफिन का विरोधाभास (Giffin's Paradox) कहा जाता है।
- **कराघात (Impact of Tax) :** सरकार द्वारा लगाए गए कर का मौद्रिक भार, जिस व्यक्ति पर सबसे पहले पड़ता है अर्थात् सरकार जिससे कर वसूल करती है, उस पर कराघात होता है। यदि वह व्यक्ति कर के मौद्रिक भार को किसी अन्य व्यक्ति पर टालने में सफल हो जाता है, तो कराघात तो प्रथम व्यक्ति पर ही रहता है, किन्तु करापात (Incidence) उस व्यक्ति पर रहता है, जो अन्तिम रूप से कर के मौद्रिक भार को वहन करता है।
- **करापात (Incidence of Tax) :** जैसाकि ऊपर बताया गया है कि यह आवश्यक नहीं कि सरकार द्वारा कोई कर जिस व्यक्ति पर लगाया गया है, वही कर के भार को अन्तिम रूप से वहन करे। यदि प्रथम करदाता कर की धनराशि को किसी अन्य व्यक्ति पर माना जाता है, जो कर के भार को अन्तिम रूप से वहन करता है, जैसे–उत्पादन शुल्क सरकार द्वारा उत्पादन से वसूल किया जाता है, किन्तु उत्पादक कर की राशि को वस्तु के मूल्य में शामिल कर देता है जिससे करापात उपभोक्ता पर आता है।
- **अल्पाधिकार (Oligopoly) :** यदि किसी वस्तु के बाजार में विक्रेताओं की संख्या बहुत कम (किन्तु दो से अधिक) होती है जिनके मध्य आपस में कोई समझौता सम्भव हो सकता हो, तो ऐसा बाजार अल्पाधिकार कहलाता है। इस प्रकार के बाजार में वसतु एकसी भी हो सकती है तथा वस्तु में विभेद भी हो सकता है।
- **शाखा बैंकिंग (Branch Banking) :** शाखा बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत किसी बैंक के एक प्रधान कार्यालय के अतिरिक्त उसकी अनेक शाखाएं देशभर में फैली होती हैं और कभी–कभी कुछ शाखाएं देश के बाहर भी होती हैं।
- **इकाई बैंकिंग (Unit Banking) :** इसके अन्तर्गत एक बैंक का कार्य साधारणतया एक ही कार्यालय तक सीमित रहता है, यद्यपि एक सीमित क्षेत्र में ये बैंक अपनी कुछ शाखाएं भी स्थापित कर लेते हैं। इकाई बैंकिंग प्रणाली अमरीका में अधिक लोकप्रिय रही है।
- **अग्रणी–बैंक अथवा लीड बैंक योजना (Lead Bank Scheme) :** यह योजना जिलों की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए 1969 में प्रारम्भ की गई थी। इसके अन्तर्गत प्रत्येक जिले के लिए एक बैंक को लीड बैंक घोषित कर दिया जाता है। जिस बैंक को लीड बैंक घोषित किया जाता है, वह जिला स्तर पर ऋणों की योजना बनाने, विशिष्ट कार्यक्रमों में अन्य बैंकों का सहयोग लेने तथा निश्चित कार्यक्रमों में अन्य बैंकों का सहयोग लेने तथा निश्चित कार्यक्रमों के लिए ऋण जुटाने में सभी वित्तीय संस्थाओं में समन्वय कायम करने का प्रयास करता है।
- **चेक (Cheque) :** चेक एक प्रकार से विनिमय हुण्डी (Bill of Exchange) होती है, जो एक निर्दिष्ट (विशिष्ट) बैंक के ऊपर आहरित होती है तथा माँग पर ही, जिसका भुगतान किया जाता है। चेक में तीन पक्ष होते हैं : (i) भुगतान का आदेश देने वाला, आहर्ता (Drawer), (ii) जिसको आदेश दिया जाता है (Drawee) अर्थात् बैंक तथा (iii) जो भुगतान प्राप्त करता है अर्थात चेक का धारक (Payee)।
- **विनिमय पत्र अथवा विनिमय हुण्डी (Bill of Exchange) :** यह एक एकसा लिखित विपत्र है, जिसमें उसका लेखक अपने हस्ताक्षर कर किसी व्यक्ति को यह शर्तरहित आज्ञा देता है कि वह एक निश्चित धनराशि किसी व्यक्ति विशेष या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को या उस विपत्र के वाहक को भुगतान कर दें। विनिमय हुण्डी केवल मुद्रा के रूप में लिखी जाती है अर्थात् इसका भुगतान केवल मुद्रा के रूप में ही होता है, किसी वस्तु जैसे कपड़ा, अनाज, सोना, चाँदी आदि के रूप में नहीं।
- **सामान्य हुण्डी एवं चेक (Hundi and Cheque) :** चेक और हुण्डी में मुख्य अन्तर यह होता है कि चेक सदैव माँग पर ही देय होता है, जबकि कुछ हुण्डियाँ (दर्शनी) माँग पर देय होती हैं और कुछ निश्चित समय या अवधि के बाद।

- **साधारण या धारक चेक (Bearer Cheque) :** जब तक संदेह करने के लिए कोई विशेष कारण न हो, धारक चेक का भुगतान चेक प्रस्तुत करने वाले किसी भी व्यक्ति को किया जा सकता है, भले ही वह चेक उसके नाम में हो अथवा नहीं। ऐसे चेक के भुगतान के लिए चेक जारी करने वाले (Drawer) के ऐसे ही निर्देश होते हैं कि भुगतान चेक के धारक को ही दे दिया जाए।
- **आदिष्ट चेक (Order Cheque) :** जब किसी धारक चेक में से धारक (Bearer) शब्द को काट दिया जाए अथवा उस चेक पर Order लिख दिया जाए, तो वह चेक आदिष्ट चेक बन जाता है। इस चेक का भुगतान करने के लिए बैंक भुगतान लेने वाले व्यक्ति की पहचान करती है। इस औपचारिकता के बाद ही उस चेक का भुगतान किया जाता है।
- **रेखांकित चेक (Crossed Cheque) :** जब चेक के ऊपर प्रायः बाईं ओर दो समानान्तर रेखाएं बना दी जाती हैं, तो वह चेक रेखांकित चेक बन जाता है। इस रेखांकित चेक का भुगतान बैंक काउंटर पर नकद प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका भुगतान किसी खाते में उसे जमा करा कर ही प्राप्त किया जा सकता है।
- **पावक खाता चेक (Account Payee Cheque) :** जब किसी चेक के प्रायः बाईं ओर ऊपर कोने में दो समानान्तर रेखाओं के मध्य 'Account Payee Only' लिख दिया जाता है, तो उस चेक को पावक खाता चेक कहते हैं। इस चेक का भुगतान केवल उसी व्यक्ति या प्रतिष्ठान अथवा संस्थान के खाते में जमा करके किया जाता है, जिसके नाम वह चेक लिखा होता है अर्थात् इस प्रकार के चेक का अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में हस्तांतरण नहीं किया जा सकता।

  जब चेक के मुखपृष्ठ पर दो समानान्तर रेखाओं के मध्य कसी बैंक का नाम लिख दिया जाता है, तो यह चेक **विशिष्ट रेखांकित चेक** बन जाता है तथा ऐसी स्थिति में उस चेक का भुगतान केवल उसी बैंक के माध्यम से सम्बन्धित व्यक्ति के खाते में जमा करके ही प्राप्त किया जा सकता है।
- **यात्री चेक (Traveller's Cheque) :** यात्री चेक किसी बैंक द्वारा जारी किया गया ऐसा चेक होता है, जिसे जारी करते समय चेक के मुखपृष्ठ पर आवेदक (चेक प्राप्त करने वाला) के हस्ताक्षर कराए जाते हैं। इस चेक का भुगतान देशभर में सम्बन्धित बैंक की किसी भी शाखा से प्राप्त किया जा सकता है। चेक का भुगतान करने वाली शाखा भुगतान के समय पुनः चेक के मुखपृष्ठ पर धारक के हस्ताक्षर कराती है। दोनों हस्ताक्षर मिलने पर ही यात्री चेक का भुगतान होता है। बैंक द्वारा अधिकृत प्रमुख वाणिज्यिक संस्थान भी यात्री चेक नकद मुद्रा की भाँति स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार के चेक यात्रियों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि चेक खो जाने पर आवश्यक शर्तें पूरी करके डुप्लीकेट चेक प्राप्त किए जा सकते हैं।
- **पूर्व दिनांकित चेक (Ante-dated Cheque) :** यदि आहरणकर्ता चेक लिखने की तारीख से पहले की कोई तारीख चेक पर लिखता है, तो ऐसे चेक को पूर्व दिनांकित (Ante-dated) चेक कहा जाता है।
- **उत्तर दिनांकित चेक (Post-dated Cheque) :** यदि किसी चेक का आहरणकर्ता चेक लिखते समय उस पर कोई आगामी तारीख लिख देता है, तो ऐसे चेक को उत्तर दिनांकित (Post-dated) चेक कहा जाता है। ऐसा चेक विधि–अमान्य तो नहीं होता, अपितु उस तारीख से प्रभावी होता है, जो उसमें लिखी गई है।
- **ड्राफ्ट (Draft) :** यह एक ऐसा साख प्रपत्र है, जिसमें किसी बैंक द्वारा अपनी किसी अन्य शाखा को पावक (Payee) के आदेशानुसार ड्राफ्ट में उल्लिखित धनराशि माँग पर भुगतान करने का आदेश होता है। ड्राफ्ट किसी बैंक द्वारा पहले से भुगतान प्राप्त करके जारी किया जाता है तथा जिस व्यक्ति अथवा संस्था के नाम ड्राफ्ट बनाया जाता है, उसकी पहचान करने के बाद इसका भुगतान कर दिया जाता है। ड्राफ्ट भी चैक की भाँति रेखांकित अथवा अरेखांकित हो सकता है।
- **समाशोधन गृह अथवा क्लीयरिंग हाउस (Clearing House) :** समाशोधन गृह अथवा क्लीयरिंग हाउस प्रायः प्रत्येक ऐसे शहर में होता है, जहाँ 3–4 अथवा उसके अधिक बैंकें होती हैं। क्लीयरिंग हाउस वह स्थान है जहाँ विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि प्रतिदिन एकत्र होते हैं। इस स्थान पर उन प्रतिनिधियों के मध्य चेकों का आदान–प्रदान तथा जमा–खर्च होता है। इस प्रकार यहाँ हजारों चेकों का लेन–देन बहुत ही सरलता से तथा थोड़े समय में ही सम्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया को समाशोधन (Clearing) कहते हैं। भारत में जिन शहरों में रिजर्व बैंक की शाखा है, वहाँ रिजर्व बैंक की शाखा नहीं है, वहाँ स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में समाशोधन गृह होता है।
- **चेक कलेक्शन (Cheque Collection) :** जब चेक शहर के बाहर किसी अन्य स्थान पर भुगतान के लिए भेजा जाता है, तो इसे ही कलेक्शन कहते हैं। ऐसे चेक का भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंक ग्राहक से डाक–व्यय एवं कमीशन लेती है।
- **बॉण्ड (Bond) अथवा डिबेन्चर (Debenture) :** बॉण्ड एवं डिबेन्चर का अर्थ ऋणपत्रों से होता है, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी संस्थान द्वारा ऋण लेकर जारी किया जाता है। संयुक्त पूँजी कम्पनियाँ ऋण प्राप्त करने के लिए अपने डिबेन्चर जारी करती हैं। इन बॉण्डों को हस्तान्तरित भी किया जा सकता है, जो संस्था इन्हें जारी करती हैं। वे इन पर धारक को एक निश्चित दर से ब्याज भी देती हैं।
- **धारक बॉण्ड (Bearer Bond) :** धारक बॉण्ड वे ऋणपत्र हैं, जिनका भुगतान परिपक्वता पर कोई भी प्राप्त कर सकता है। इन पर न तो खरीददार का नाम लिखा होता है और न ही हस्तान्तरित करते समय इनकी पीठ पर हस्ताक्षर ही करने होते हैं। प्रायः इनका उपयोग काले धन को सफेद धन में बदलने के लिए किया जाता है।
- **सस्ती मुद्रा (Cheap Money) :** वह मुद्रा जिसे नीची ब्याज दर (Low interest rate) पर प्राप्त किया जा सकता है, सस्ती मुद्रा कहलाती है।

- **बैंक दर (Bank Rate) :** बैंक दर से अभिप्राय उस दर से है, जिस पर केन्द्रीय बैंक सदस्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती करता है अथवा स्वीकार्य प्रतिभूतियों पर ऋण देता है। कुछ देशों में इसे कटौती–दर भी कहा जाता है। बैंक दर में परिवर्तन करके केन्द्रीय बैंक देश में साख की मात्रा को प्रभावित कर सकता है।
- **खुले बाजार की क्रियाएँ (Open Market Operations) :** यह भी केन्द्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण उपाय है। खुले बाजार की क्रियाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक द्वारा मुद्रा बाजार में किसी भी प्रकार के बिलों अथवा प्रतिभूतियों का क्रय–विक्रय होता है, परन्तु संकीर्ण अर्थ में इससे अभिप्राय केन्द्रीय बैंक द्वारा केवल सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय–विक्रय होता है।
- **म्यूचुअल फण्ड (Mutual Fund) :** म्यूचुअल फण्ड के अन्तर्गत जन–साधारण के निवेश योग्य धन को ऐच्छिक आधार पर एकत्रित करके विनियोग के बेहतर अवसरों में प्रयोग किया जाता है। इसकी स्थापना प्रायः निवेश सम्बन्धी निर्णय लेने वाली दक्ष वित्तीय संस्थाओं द्वारा की जाती है। भारत में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, स्टेट बैंक, कनारा बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया, इण्डियन बैंक तथा जीवन बीमा निगम आदि ने इस प्रकार के म्यूचुअल फण्ड स्थापित किए हैं।
- **प्रतिभूति (Security) :** प्रतिभूति एक व्यापक शब्द है। एक अर्थ में प्रतिभूति शब्द का प्रयोग प्रपत्रों के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों तथा शेयर, डिबेन्चर व अन्य ऋणपत्रों आदि के लिए किया जाता है। बैंकिंग में ऋणों की जमानत के सन्दर्भ में भी 'प्रतिभूति' काफी प्रयुक्त होता है, जहाँ प्रतिभूति से अभिप्राय उस बीमित हित से होता है, जो ऋण के भुगतान न होने की स्थिति में उत्पन्न होता है अर्थात् प्रतिभूति ऋण का बीमा होती है। बैंकों द्वारा ऋणी की व्यक्तिगत अथवा दृश्य प्रतिभूति पर ऋण प्रदान किया जाता है।
- **प्राथमिक प्रतिभूति (Primary Security) :** प्राथमिक प्रतिभूति से अभिप्राय उस प्रतिभूति से होता है, जो ऋण को मुख्यतः सुरक्षित करती है तथा यह प्रतिभूति ऋणी द्वारा प्रदत्त की जाती है।
- **सरकारी प्रतिभूतियाँ (Government Securities) :** सरकारी प्रतिाूतियों में सरकारी प्रतिज्ञा–पत्र (Government promissory notes), राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र तथा राष्ट्रीय बचत योजना, वाहक बन्धक पत्र (Bearer bounds) आदि सम्मिलित किए जाते हैं। बैंक इन प्रतिभूतियों की जमानत पर सरलता से ऋण प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि इन प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है तथा ये सुरक्षित समझी जाती है।
- **सावधि जमा (Time Deposits) :** सावधि जमाओं के अन्तर्गत उन समस्त जमा राशियों को सम्मिलित कियाजाता है, जो एक निर्धारित अवधि के लिए बैंक के पास जमा की जाती हैं। यह जमा राशि विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने पर देय (Repayable) होती है। बैंक ऐसी जमा राशियों पर अपेक्षाकृत ऊँची दर से ब्याज देते हैं। इस प्रकार के जमा बैंकों द्वारा प्रायः सावधि जमा खाते (Fixed Deposit Account) तथा अवर्ती जमा खाते (Recuring Deposit Account) में स्वीकार किए जाते हैं।
- **माँग जमा (Demand Deposits) :** माँग जमाओं के अन्तर्गत उन समस्त जमा राशियों को सम्मिलित किया जाता है, जो जमाकर्ता द्वारा अपनी इच्छानुसार चाहे जब वापस माँगी जा सकती हैं। बैंकों में चालू खाते (Current Account) तथा बचत खाते (Saving Account) में जमा राशियाँ माँग जमा के अन्तर्गत आती हैं।
- **बचत बैंक खाता (Savings Bank Account) :** बचत बैंक खाता उन व्यक्तियों के लिए है, जो अपनी भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी वर्तमान आय का कुछ भाग बचाकर रखना चाहते हैं। इस खाते में जमा राशि पर कुछ ब्याज भी दिया जाता है। प्रत्येक कलेण्डर महीने के दसवें दिन के अन्त से लेकर उस महीने की अन्तिम तारीख तक की अवधि में जो भी न्यूनतम जमा बाकी रहती है, उकसे आधार पर ब्याज दिया जाता है।
- **चालू खाता (Current Account) :** यह एक प्रकार का माँग जमा (Demand Deposit) खाता है जिसमें से किसी भी कार्य दिवस को अनेक बार कितनी भी राशि का लेन–देन किया जा सकता है। इन खातों में जमा राशियों पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता, बल्कि बैंक लेन–देनों (Transactions) की संख्या के आधार पर कुछ सेवा शुल्क (Service charge) खाताधारी से वसूल करते हैं।
- **स्मार्ट कार्ड (Smart Card) :** डाक विभाग द्वारा चुनिंदा शहरों में प्रारम्भ की गई प्रीमियम बचत बैंक सेवा के अन्तर्गत प्रत्येक खातेदार को एक 'स्मार्ट कार्ड' जारी किया जाएगा, जिससे वर्तमान कागज की पासबुक व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। 'स्मार्ट कार्ड' के माध्यम से खातेदार किसी एक निश्चित डाकघर के स्थान पर विभिन्न डाकघरों में अपने खाते में धन जमा करा सकेंगे तथा निकाल सकेंगे।
- **अनिवासी (वाह्य) रुपया खाता [Non-Resident (External) Rupee Accounts] :** इस प्रकार के खाते प्रमुख व्यापारिक बैंकों में अनिवासी भारतीयों के नाम में खोले जा सकते हैं। यह खाते भारतीय रुपयों में खोले जाते हैं। खातों का मूलधन तथा उस पर अर्जित ब्याज को बिना किसी कठिनाई के जमाकर्ता को उसके देश वापस कर दिया जाता है, परन्तु रुपयों को विदेशी मुद्रा में उस दर से परिवर्तित किया जाता है, जोकि धन भेजने की तारीख को लागू होती है। इन खातों पर दिया गया ब्याज कर मुक्त होता है। ऐसे खाते अनिवासी भारतीयों (NRIs) तथा भारतीय मूल के विदेशियों द्वारा खोले जा सकते हैं। अन्य विदेशी लोगों को ऐसे खाते खोलने की अनुमति नहीं है।
- **विनिमय साध्य विपत्र (Negotiable Instrument) :** विनिमय–साध्य विपत्र एक लिखित प्रपत्र होता है, जो विधि अथवा व्यापारिक प्रथा के अन्तर्गत अन्तरित किया जा सकता है। जो व्यक्ति ऐसा प्रपत्र सद्भाव से तथा मूल्य के बदले (in good faith and for value) प्रापत करता है, उस व्यक्ति को ऐसे प्रपत्र पर समुचित स्वामित्व रखने का विशेषाधिकार प्राप्त होता है चाहे उसके अन्तरणकर्ता का उस विपत्र पर कोई स्वामित्व नहीं था अथवा दोषपूर्ण स्वामित्व था। वचन–पत्र (Promissory note), विनिमय–पत्र (Bill of exchange) तथा चेक (Cheque) की गणना विनिमय साध्य विपत्रों के अन्तर्गत की जाती है। इन विपत्रों का नियमन 'विनिमय साध्य विपत्र अधिनियम' (Negotiable Instruments Act) के द्वारा होता है।

- **'ऑन–फार्म वाटर मैनेजमेंट' (On-Farm Water Management) स्कीम** : केन्द्रीय वित्त सहायता द्वारा एक नई स्कीम 'On-Farm Water Management' मार्च 2002 में पूर्वी–भारत में फसल उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य **'ग्राउण्ड एण्ड सरफेस वाटर'** के अत्यधिक दुरुपयोग को रोककर एवं उसके कुशल उपयोग से खाद्यान्नों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना रखा गया था, जिसमें, बाद में आर्थिक मदद 20% लाभार्थी द्वारा, 30% भारत सरकार (GOI) द्वारा एवं 50% 'NABARD' द्वारा 'Bank Loan' के रूप में रखी गई, लेकिन वर्ष 2006–07 से यह स्कीम बन्द कर दी गई है।

- **मुक्त बन्दरगाह** : मुक्त बन्दरगाह एक ऐसा पत्तन नगर है या उसका कोई भाग है जो वस्तुओं को लादने और उतारने (निर्यात एवं आयात) के लिए सीमा शुल्क या इसी प्रकार के अन्य नियंत्रणों से मुक्त होता है। मुक्त बन्दरगाह पर आयातित या निर्यातित अधिकांश वसतुएं सीमा शुल्क से मुक्त होती हैं, परन्तु कुछ विशिष्ट वस्तुओं पर सीमा शुल्क देना भी पड़ता है। इसे मुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। हांगकांग, सिंगापुर, कोपेनहेगन (आंशिक रूप से) मुक्त पत्तन है।

- **कर, उपकर तथा अधिभार (Tax, Cess and Sur-charge) :** कर, उपकर तथा अधिभार कर की श्रेणी में आते हैं, किन्तु उपकर तथा अधिभार कर से भिन्न हैं किसी उद्देश्य विशेष की पूर्ति के लिए कर नहीं लगाया जाता, जबकि उपकर तथा अधिभार दोनों ही किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजस्व की उगाही के लिए लगाए जाते हैं। उपकर कर के साथ कर आधार पर ही किसी विशेष प्रयोजन के लिए लगाया गया कर है, जबकि अधिभार कर के ऊपर कर है, जिसकी गणना कर दायित्व पर की जाती है। सामान्यतया अधिभार प्रत्यक्ष कर पर लगाया जाता है, जबकि उपकर प्रत्यक्ष तथा परोक्ष कर दोनों पर लगाया जाता है। इस प्रकार सिद्धान्ततः उपकर कर आधार पर लगाया जाता है, जबकि कर भार कर दायित्व पर लगाया जाता है।

  पुनः अधिभार तथा उपकर की प्राप्ति को राज्यों के वितरण योग्य पूल (Divisible Pool) में नहीं डाला जाता। इसके राजस्व को उन उद्देश्यों पर लगाया जाता है, जिनके लिए इन्हें लगाया जाता है।

- **नकद आरक्षण अनुपात (Cash Reserve Ratio–CRR) :** रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 42(1) के अन्तर्गत अनुसूचित बैंकों को यह अनिवार्य है कि वे अपनी जमाराशि के कम–से–कम 3% के बराबर रकम रिजर्व बैंक के पास नकद रूप में जमा रखें रिजर्व बैंक को यह अधिकार है कि वह इस अनुपात को 3% से बढ़ाकर 15% तक कर सकता है। इस अनुपात में वृद्धि करने का परिणाम यह होता है कि बैंकों के पास नकद कोष में कमी हो जाती है जिसके कारण ऋणों और अग्रिमों की मात्रा भी कम हो जाती है। 24 अप्रैल, 2010 से भारत में यह दर 6.0 प्रतिशत है।

- **मर्चेन्ट बैंकिंग (Merchant Banking) :** वाणिज्यिक बैंकिंग के अन्तर्गत औद्योगिक तथा व्यापारिक संस्थानों को विशिष्ट प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसमें परियोजना सम्बन्धी परामर्श (Project Counselling), व्यवहार्यता रिपोर्ट (Feasibility report) तैयार करना, प्रस्तावों पर सरकार की सहमति प्राप्त करना, नए निर्गमों (New issues) के प्रबन्धक के रूप में कार्य करना, कार्यशील पूँजी (Working capital) की व्यवस्था करना आदि बातें उल्लेखनीय हैं।

- **देशी बैंक व्यवस्था (Indigenous Banking) :** भारत में देशी बैंक व्यवस्था के अन्तर्गत सर्राफ, सेठ, साहूकार, महाजन, शेट्टी आदि को सम्मिलित किया जाता है, जो रुपया उधार देते हैं तथा हुण्डियों अथवा आन्तरिक विनिमय–पत्रों द्वारा वित्त प्रबन्ध करते हैं। देशी बैंकर अपने मित्रों तथा सम्बन्धियों से जमा भी स्वीकार करते हैं। ये रिजर्व बैंक के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं होते।

- **वैश्विक गाँव (Global Village) :** सूचना तकनीक के क्षेत्र में हुई अभूत–पूर्व क्रांति, चाहे वह उपग्रह के माध्यम से हुई हो या माइक्रोवेव से या कि कम्प्यूटर प्रणाली से, हमारे लिए एक नवीन दुनिया प्रस्तुत करती हैं। सूचना के मामले में दुनिया का आकार दिन–प्रतिदिन छोटा होता जा रहा है अर्थात् हम एक–दूसरे के अत्यधिक निकट आते जा रहे हैं। मार्शल मकलुहान इसी स्थिति को ही 'ग्लोबल विलेज' या 'विश्वस्तरीय गाँव' कहते हैं।

- **यूरो–स्टार (Euro-Star) :** इंगलैण्ड और फ्रांस को रेलमार्ग से जोड़ने के लिए समुद्र के नीचे बनाई गई सुरंग से होकर चलने वाली रेलयात्री गाड़ी को 'यूरो स्टार' का नाम दिया गया है।

- **लाफर वक्र (Laffer Curve) :** आर्ट लाफर द्वारा प्रतिपादित तथा अमरीकी जर्नलिस्ट जूड वैन्निस्की द्वारा बहुप्रचारित लाफर वक्र उस स्थिति की व्याख्या करता है जब यह मानकर चला जाता है कि यदि करारोपण की दरों को कम कर दिया जाए तो सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व में वृद्धि होगी, लेकन यह वृद्धि एक सीमा तक ही होगी। करों की दरों में इस सीमा से अधिक कमी कर दिए जाने पर करागत राजस्व में कमी आएगी। पूर्व में इसी अवधारणा को अमरीकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री मारग्रेट थैचर अपना चुके हैं, लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई थी।

- **हरी पंचायत** : ग्रामीण रोजगार उपार्जन योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध निधियों की सहायता से वनीकरण कार्य शुरू करने हेतु ग्राम पंचायतों को प्रेरित करने के प्रयोजन से पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा एक पुरस्कार प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत् प्रत्येक जिले में ग्राम सभा के वनीकरण के बारे में किए गए प्रयासों का 4 वर्षों के पश्चात् मूल्यांकन किया जाएगा और जो ग्राम सभा इस सम्बन्ध में सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी उन्हें जिले की सबसे 'हरी पंचायत' होने के लिए एक लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

- **स्वयं सहायता समूह (Self Help Group–SHG) :** भारत में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) का एक महत्वपूर्ण घटक (Group Approach) है। इसका सम्बन्ध गरीबों को संगठित करके 'स्वयं सहायता समूह' (SHG) का निर्माण करना है। एक स्वयं सहायता समूह में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से सम्बन्धित 10 से 20 व्यक्ति हो सकते हैं तथा एक व्यक्ति एक से अधिक समूह का सदस्य नहीं होना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों में तथा विकलांग व्यक्तियों के मामलों में यह संख्या 5 से 20 तक हो सकती है। 'स्वयं सहायता समूह' में महिलाओं के लिए वरीयता प्रदान की गई है। यह योजना एक ऋण एवं सब्सिडी योजना है, जिसमें ऋण एक प्रमुख तत्व है। भिन्न–भिन्न परिस्थितियों में सब्सिडी की सीमा परियोजनाओं लागत की अलग7अलग निश्चित की गयी है। स्वयं सहायता समूहों के लिए सब्सिडी परियोजना लागत का 50%, किन्तु अधिकतम 1.25 लाख रुपए निर्धारित की गई है। सिंचाई परियोजनाओं के लिए सब्सिडी की कोई वित्तीय सीमा नहीं रखी गई है। सब्सिडी कार्येत्तर है।

- **आउटकम बजट (Outcome Budget) :** आउटकम बजट के अन्तर्गत एक वित्तीय वर्ष के लिए किसी मंत्रालय अथवा विभाग को आबंटित किए गए बजट में अनुश्रवण तथा मूल्यांकन किए जा सकने वाले भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण इस उद्देश्य से किया जाता है कि बजट के क्रियान्वयन की गुणवत्ता को परखा जाना सम्भव हो सके।

  भारत में केन्द्रीय सरकार ने इस नई पद्धति को वर्ष 2005–06 के बजट में प्रस्तावित किया था। इनमें पहली बार वित्त मंत्री द्वारा 25 अगस्त, 2005 को संसद में प्रस्तुत किया था। वर्ष 2005–06 के बजट में इसे केवल आयोजनागत बजट के लिए ही प्रस्तुत किया गया था, लेकिन भविष्य में इसे आयोजना भिन्न बजट में लागू करने का सरकार का इरादा है। इस प्रकार आउटकम बजट सामान्य बजट की तुलना में एक कठिन प्रक्रिया है, जिसमें वित्तीय प्रावधानों को परिणामों के सन्दर्भ में देखा जाना होता है।

- **सूचना का अधिकार अधिनियम :** किसी व्यक्ति को, जोकि सूचना पाने का इच्छुक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है। इसकी प्रस्तावना में लोकतांत्रिक आदर्शों को सर्वोपरि मानते हुए माना गया है कि संवेदनशील सूचना की गोपनीयता बनाने की जानकारी को छोड़कर शेष जानकारी से नागरिकों को अवगत कराना होगा। ये सरकारी, अर्द्ध–सरकारी स्वायत्त संस्थाएं, नगर पंचायत, नगरपालिकाएं, ग्राम पंचायत इत्यादि सभी को लागू होगा।

- **स्वच्छन्द उद्योग (Footloose Industries) :** स्वच्छन्द उद्योग ऐसे उद्योग को कहा जाता है जिसे कहीं भी स्थापित किया जा सकता है अर्थातृ जिसके लिए परिवहन लागतों का कोई महत्व नहीं होता। ऐसे उद्योग कच्चे माल के स्रोत के निकट स्थापित नहीं किए जाते जैसा कि लौह एवं इस्पात उद्योग के साथ होता है। स्वच्छन्द उद्योग प्रायः विश्वविद्यालयों, अनुसंधान केन्द्रों के निकट स्थापित किए जाते हैं। ये गैर–प्रदूषणकारी उद्योग हैं।

- **ग्राम ज्ञान केन्द्र :** केन्द्र सरकार ने वर्ष 2005–06 के बजट में 100 करोड़ की लागत से ग्राम ज्ञान केन्द्र स्थापित करने की घोषणा की थी। सरकार का यह कदम गाँवों और शहरों के बीच सूचना प्राप्त करने के लिए ब्रिज का कार्य करेगा। इन सूचना केन्दों पर ग्रामीणों तथा किसानों को कृषि सम्बन्धित नई जानकारी, बाजार भाव, कृषि उपज के विपणन की जानकारी, बाजार की माँग, शिक्षा, सूचना एवं संचार आदि मूलभूत जरूरतों को पूरा करेगा। हालांकि गाँवों को सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ पहुँचाने का कार्य पहले ही कुछ निजी कम्पनियों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं राज्य सरकारों द्वारा शुरू किया जा चुका है।

- **किसान काल सेन्टर :** आज के दौर में किसान काल सेन्टर बदलते ग्रामीण भारत की नई तस्वीर पेश करते हैं। इन केन्दों से ग्रामीणों और किसानों को कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन, मधुमक्खी पालन, रेशमकीट पालन एवं अन्य कृषि से सम्बन्धित व्यवसायों की आधुनिकतम जानकारी प्रदान करने के साथ ही उनका इन क्षेत्रों में आने वाली कठिनाइयों एवं समस्याओं के उचित समाधान भी सुझाए जाते है। ये किसान काल सेन्टर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र सहित देश के आठ प्रान्तों में ग्रामीणों को बखूबी सलाह, सहायता और मार्गदर्शन कर रहे हैं। इन केन्द्रों पर उपलब्ध टोल फ्री नम्बर 1551 पर देश के किसी भी कोने से फोन पर आवश्यक जानकारी मुफ्त में प्राप्त की जा सकती है।

- **सार्वजनिक उपक्रम समिति :** सार्वजनिक उपक्रम समिति (Committee on Public Under-takings) संसद की एक मिति है जिसमें राज्य सभा से 7 तथा लोक सभा से 15 सदस्य अर्थात् कुल 22 सदस्य सम्मिलित होते हैं। इसका कार्य सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिवेदनों और हिसाब–किबात पर विचार करना तथा महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जाँच करना है।

- **एसटीटी (सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स) :** शेयर बाजार में प्रतिभूतियों (Securities) के खरीदने या बेचने पर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगता है। इसे हटाए जाने की आशा थी, लेकिन 2009–10 के बजट में इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

****